राजस्व अपील संख्या 289 / 2023

अनवान

शंकरसिंह वगैराह बनाम राज0 सरकार वगैराह

दिनांक **02.08.2023**

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव, जिला बाडमेर के द्वारा पारित आदेश क्रमांक 2017 / 126 अनवान तहसीलदार शिव बनाम कोई पक्षकार नहीं में दिनांक 01.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से उपस्थित अधिवक्तागण की स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील बाबत की गई बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2017 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया।

समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हुए उपखण्ड अधिकारी, शिव ज़िला बाडमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे तहसीलदार, शिव से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका नक्शा एवं मौका रिपोर्ट तैयार करवा कर तलब करें, तत्पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करे। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,

जोधपुर

अति. सम्भागीय आयुक्त

जोधपुर